



फॉर्म-X

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - छपरा

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2021/146271

दिनांक : 21/08/2021

प्रमाणित किया जाता है कि रिषिका कुमारी(Rishika Kumari), पिता-रवि भास्कर(Ravi Bhaskar), माता-रजनी देवी(Rajani Devi), ग्राम/मोहल्ला-भगवान बाजार मंगलम नर्सिंग होम के सामने, पोस्ट-भगवान बाजार, थाना- भगवान बाजार, प्रखंड-छपरा, अनुमंडल-सारण सदर, जिला-सारण, राज्य बिहार तेली के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) में अनुक्रमांक 126 पर अंकित है। अतः रिषिका कुमारी, पुत्री- रवि भास्कर, माता-रजनी देवी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) का / की है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था० (आ०) दिनांक 09-03-2004 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था० (आ०) दिनांक 14-10-2008 के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग 'क्रीमीलेयर' के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : छपरा

दिनांक : 21/08/2021



राजस्व अधिकारी छपरा
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> पोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें।